<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 6/17/2022-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 29 मार्च, 2023

<u>जांच शुरूआत अधिसूचना</u>
मामला संख्याः ओआई -17/2022

विषय: चीन जन.गण. तथा थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लैक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलयोल" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. फा. संख्या 6/17/2022-डीजीटीआर: 1995 में यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "ए डी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ।

2. मै. मनाली पैट्रोकैमिकल्स लि., ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां

आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण. तथा थाइलैंड (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लैक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलयोल" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया गया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्सिबल स्लेबस्टॉक पोलयोल (जिसे आगे "एफएसपी" भी कहा गया है), है । यह एक क्लियर विस्कोस लिक्विड पॉलीमर है जिसका आणविक भार 3000-4000 होता है तथा जिसे एक ट्रायोल चेन स्टार्टर अर्थात प्रोपीलीन ऑक्साइड और एथीलीन ऑक्साइड एक पालीमराइजेशन द्वारा विनिर्मित किया जाता है । यह एक पॉलीईथर है और उत्प्रेरकों एडिटिव्स के साथ प्रतिक्रिया करके पॉलीयूरेथीन फॉम बनाता है जिनका उपयोग अपहोलस्ट्री, गद्दों, तकियों, बोलस्टर्स, ट्रांसपोर्ट सिटिंग और पैकेजिंग में किया जाता है । इसे टैंकरों में परिवहन किया जाता है या स्टील के ड्रमों में भंडारित किया जाता है ।

4. विचाराधीन उत्पाद का सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अंतर्गत कोई समर्पित वर्गीकरण कोड नहीं है । इसे अध्याय शीर्ष 39 "प्लास्टिक्स और आर्टीकल" के अंतर्गत आयातित किया जाता है और चार अंकीय स्तर पर इसका वर्गीकरण 3907 है । 6 अंकीय स्तर पर संबद्ध वस्तु को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-I के उपशीर्ष 3907 20, 3907 29, 3907 99 जैसे विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत आयातित किया जाता है । सीमाशुल्क वर्गीकरण कोर्ड केवल सांकेतिक है और पीयूसी के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि पीयूसी के आयातों को विभिन्न अन्य उप शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जा सकता है ।

5. जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना के जारी होने से 20 दिनों के भीतर, पीसीएन के निर्माण के लिए, यदि कोई प्रस्ताव हो, तो अपने प्रस्ताव प्रदान कर सकते हैं।

ख. **समान वस्तु**

6. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है । चीन जन. गण. और थाइलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु तथा आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और चीन जन. गण. तथा थाइलैंड से भारत के घरेलू बाजार में आने वाली वस्तु भौतिक और रासायिनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषज्ञताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं । उपभोक्ताओं ने दोनों उत्पादों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है और कर रहे हैं । वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

ग. **घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

7. यह आवेदन मै. मनाली पैट्रोकैमिकल लि. द्वारा घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में समान वस्तु का एकमात्र घरेलू उत्पादक है और इसलिए कुल घरेलू उत्पादन में उसका 100 प्रतिशत हिस्सा है । आवेदक ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. और थाईलैंड में उनका कोई संबंधित पक्षकार नहीं है और न ही उन्होंने पीओआई के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। तदनुसार उपलब्ध सूचना के अनुसार, यह माना जाता है कि आवेदक ए डी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति के मापदंडों को पूरा करता है ।

घ. **संबद्ध देश**

8. यह आवेदन चीन जन.गण. तथा थाइलैंड (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में किया गया है ।

ड. **जांच की अवधि**

9. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 (12 माह) की है । जांच क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच अवधि (पी ओ आई) की अवधियों पर विचार किया गया है ।

च. **कथित पाटन का आधार**

i. **चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य**

10. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) और एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार चीन जन. गण. से उत्पादकों का सामान्य मूल्य चीन जन.गण. में प्रचलित लागत या घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है, जबकि संबद्ध देश के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाते हों कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित सिद्धांतों पर आधारित है और एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 के अनुसार उचित तुलना की अनुमति देते हैं, ऐसा नहीं होने पर संबद्ध देश से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य ए डी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए ।

11. आवेदक ने अनुरोध किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश या अपनाए गए अन्य वैकल्पिक तरीकों के अनुसार लागत या कीमत से संबंधित आंकड़े इस स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं । आवेदक ने बताया है कि वह इस स्तर पर चीन जन.गण. के लिए किसी प्रतिनिधि देश का पता लगाने में भी सक्षम नहीं है । इसके अलावा, भारत को गैर-पाटन तीसरे देश/देशों से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा नगण्य है । अत: सामान्य मूल्य को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद परिकलित किया गया है। सामान्य मूल्य को बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए घरेलू उद्योग

की उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद परिकलित किया गया है ।

ii. **थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य**

12. थाइलैंड के संबंध में आवेदक ने बताया है कि उसने थाइलैंड के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमतों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए थे ।आवेदक ने थाइलैंड से अन्य देशों को निर्यातों के लिए निर्यातकों की कीमत सूची या कीमत साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास भी किए थे, परंतु वह कोई सटीक और विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं कर सका था क्योंकि संबद्ध वस्तु के लिए कोई समर्पित एचएस कोड नहीं है । इसके अलावा, भारत को गैर-पाटन तीसरे देश/देशों से संबद्ध वस्तु की आयात मात्रा नगण्य है । अत: सामान्य मूल्य को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद परिकलित किया गया है। सामान्य मूल्य को बिक्री, सामान्य तथा प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ मार्जिन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करने के बाद परिकलित किया गया है ।

iii. **निर्यात कीमत**

13. आवेदक ने संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का दावा गौड़ स्रोत के आंकड़ों में सूचित सी आई एफ कीमत पर विचार करते हुए किया है । समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, पत्तन संभलाई और निकासी प्रभारों, कमीशन, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं । चीन जन. गण.से निर्यातों के मामले में वैट भी समायोजित किया गया है ।

छ. **पाटन मार्जिन**

14. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देशो से संबद्ध वस्तु के संबंध में न्यूनतम सीमा से अधिक पाटन

मार्जिन सिद्ध करती हैं । इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु पाटित की जा रही है ।

ज. **<u>क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य</u>**

15. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है । आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन तथा खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कीमत ह्रास, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट, लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं । आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्राधिकारी का विचार है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोजित ठहराते हैं ।

झ. **<u>पाटनरोधी जांच की शुरूआत</u>**

16. घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन और संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को प्रथमदृष्टया संतुष्ट करने के बाद और एडी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्द्वारा संबंध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए एतद्द्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।

ञ. **<u>प्रक्रिया</u>**

17. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली 1995 के नियम 6 के अंतर्गत यथानिर्धारित सिद्धांतों का पालन किया गया है ।

ट. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

18. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों jd12-dgtr@gov.in, और ad12-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in, और adv13-dgtr@gov.in. पर ई-मेल से भेजी जानी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोधों का वर्णनात्मक हिस्सा केवल पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल केवल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

19. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के ज़रिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना के खंड ठ में उल्लिखित समय-सीमा या जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर दें। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली, और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित पद्धति और ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत अनुरोध इस जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं द्वारा यथाविहित ढंग से इस जांच शुरूआत अधिसूचना के खंड ठ में उल्लिख्ति समय सीमाओं या जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना

अपेक्षित है। ऐसा नहीं करने पर इस जांच शुरूआत अधिसूचना के खंड ण के अनुसार निर्धारण किया जाएगा ।

22. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निदेश दिया जाता है कि संबद्ध जांच में आगामी गतिविधियों के बारे में अवगत रहने और प्रश्नावली के प्रपत्र, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक के कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धि पत्र, संशोधन अधिसूचना, समय सीमाओं और अन्य ऐसी सूचना के संबंध में समय समय पर जारी किए जाने वाले नोटिस के संबंध में अवगत रहने के लिए वे नियमितरूपसे व्यापार उपचारमहानिदेशालय की वैबसाइट (http://www.dgtr.gov.in) को देखते रहें । इससे सुनिश्चित होगा कि संबद्ध जांच के सभी हितबद्ध पक्षकार संबद्ध जांच से संबंधित प्रगति और जानकारी के बारे में भली भांति जागरूक रहेंगे । किसी पक्षकार को सूचना नहीं मिलने का कोई विशिष्ट मामला वैबसाइट पर अद्यतन की गई सूचना को अवैध करार देने का आधार नहीं होगा ।

ठ. हितबद्ध पक्षकारों के पंजीकरण और उत्तर /अनुरोध/सूचना देने के लिए समय सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई उत्तर/अनुरोध/सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों jd12-dgtr@gov.in, और ad12-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg13-dgtr@gov.in, और adv13-dgtr@gov.in. पर ईमेल के माध्यम से एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति या व्यापार उपचार महानिदेशालय (जिसे आगे डीजीटीआर कहा गया है) की वैबसाइट में ऐसे नोटिस के प्रकाशन की तारीख, जो भी बाद में हो से तीस दिनों (30 दिनों) के भीतर भेजी जानी चाहिए । तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को उसे दिए जाने या डीजीटीआर की वैबसाइट पर उसके प्रकाशन, जो भी बाद में हो, की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा । यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं

होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी इस जांच शुरूआत अधिसूचना के खंड ण के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और ऊपर यथानिर्धारित समय सीमा या जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा अलग से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

25. जहां कहीं कोई हितबद्ध पक्षकार उत्तर/अनुरोध/सूचना देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, उसे एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार समय बढाने का पर्याप्त कारण बताना होगा और ऐसा अनुरोध इस जांच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समय या जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा अलग से निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए ।

ड. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

26. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ऐसा नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है ।

27. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

28. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी, जो स्वभाव से गोपनीय है और/या अन्य सूचना जिसके सूचना प्रदाता ने उसके गोपनीय होने का दावा किया है । स्वभाव से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों की वजह से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के संबंध में ऐसी सूचना के प्रदाता के लिए प्रदत्त सूचना के साथ इस बात का पर्याप्त और पूर्ण कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है ।

29. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय रूपांतरण अनिवार्य रूप से उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

30. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और एडी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार, इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे संबंधी टिप्पणी कर सकते हैं ।

31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

32. गोपनीयता के दावे पर उसके किसी सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या एडी नियमावली, के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण कारणों के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

33. प्रस्तुत सूचना/अनुरोध/उत्तर के गोपनीय स्वरूप के संबंध में पर्याप्त और पूर्ण कारणों से संतुष्ट होने पर प्राधिकारी प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार कर सकते हैं और वे ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ढ. <u>सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण</u>

34. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को ई-मेल कर दें। अनुरोध/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर इस जांच शुरूआत अधिसूचना के खंड-ण के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है ।

ण. <u>असहयोग</u>

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)
संयुक्त सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी